प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
आकाशवाणी: गोरखपुर

क्षेत्रीय समाचार इकाई, आकाशवाणी, गोरखपुर निम्नलिखित श्रेणी में असाइनमेंट के आधार पर काम करने के लिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित करता है;-

क) आकस्मिक समाचार संपादक
ख) आकस्मिक समाचार वाचक

अनिवार्य योग्यता :-

श्रेणी	अनिवार्य योग्यता	वांछनीय योग्यता
आकस्मिक समाचार संपादक **(Casual News Editor)**	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्थान से/ कम से कम एक वर्ष की अवधि का पत्रकारिता में परास्नातक ड्रिगीडिपलोमा या/ प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया में 05 वर्ष की रिर्पोटिंगसंपादन कार्य का अनुभव/ 3. हिन्दी/भोजपुरी भाषा में प्रवीणता	1. रेडियो/टेलीविज़न में पत्रकारिता कार्य का अनुभव (पत्रकारिता में ड्रिगी/डिप्लोमा रखने वाले के लिए कॉलम 2(2) संदर्भ हेतु 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग का सामान्य ज्ञान 3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार सम्पादन का ज्ञान
समाचार वाचक सह अनुवादक (Casual News Reader) हिन्दी और भोजपुरी	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. हिन्दी और भोजपुरी भाषा में प्रवीणता 3. प्रसारण के अनुकूल उच्च श्रेणी की आवाज	1.. रेडियो/टेलीविज़न में पत्रकारिता कार्य का अनुभव 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग का सामान्य ज्ञान

आयु - उपर्युक्त श्रेणी हेतु **आयु सीमा 21 वर्ष से 50 वर्ष (समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की** अति**म तिथि तक)** के मध्य होंनी चाहिए।
फीस - सामान्य वर्ग के लिए रु300+ रु54 (18% GST) = रु354/-   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु225+ रु41 (18% GST) = रु266/-

चयन प्रक्रिया -

1. आकस्मिक समाचार संपादक (Casual News Editor): चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल है (1) लिखित परीक्षा (2)साक्षात्कार प्रत्येक परीक्षा 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में उनकी पत्रकारिता और पेशेवर क्षमता के साथ-साथ हिन्दी भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों का चयन समिति द्वारा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और रेडियो समाचार के लिए उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा।

नियम व शर्तें -

(1) यह कार्यभार पूर्णतया दैनिक संविदा प्रकृति का है और दैनिक संविदाकर्मी को आकाशवाणी में स्थायी रोजगार पर रखने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
(2) आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप क्षेत्रीय समाचार एकांश/समाचार सेवा प्रभाग की आवश्यकता के अनुसार दायित्व सौंपा जायेगा।
(3) आकास्मिक समनुदेशिती से उम्मीद की जाती है कि वे आकाशवाणी प्रसारण कोड को मानते हुए अपनी उच्चस्तरीय व्यवसायिक दक्षता से कार्य करेंगे और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय समाचार एकांश/समाचार सेवा प्रभाग के लिए श्रेष्ठ नतीजा दे सकें।
(4) आकस्मिक समनुदेशिती ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचेगा जो प्रसार भारती/

आकाशवाणी की छवि के लिए हानिकारक हो सकती है। उनको ऐसी किसी भी राजनैतिक या अन्य गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना है जो आकाशवाणी समाचार की निष्पक्षता और सटीकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो।
(5) वह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आकाशवाणी के नाम या लोगो का उपयोग नहीं करेगा/करेगी।
(6) पैनल में उनका बने रहना उनके प्रदर्शन और आचरण पर निर्भर करेगा।
(7) किसी विशेष स्टेशन/समाचार सेवा प्रभाग में सूचीबद्ध आकस्मिक व्यक्ति, किसी अन्य स्टेशनों पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरे बिना उन स्टेशनों के पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता का दावा नहीं कर सकता है।
(8) यदि कोई कैज़ुअल समनुदेशिती क्षेत्रीय समाचार एकांश/समाचार सेवा प्रभाग के निर्णय की

सहमति के बिना छह महीने से अधिक समय तक सौंपा गया कार्य करने से इनकार करता है तो उसे क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख की सिफारिश पर संबंधित स्टेशन के कार्यालय प्रमुख द्वारा पैनल से हटाया जा सकता है।

(9) आकस्मिक समनुदेशिती को पैनल में शामिल होने के " नियम व शर्तों " का उल्लघन करने पर बिना पूर्व सूचना के पैनल से हटाया जा सकता है।

(10)किसी भी शिकायत/मुद्दे का निपटारा क्षेत्रीय समाचार एकांश/केन्द्र स्तर पर किया जाएगा और इसे किसी अन्य मंच पर नहीं उठाया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख/कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। समाचार सेवा प्रभाग के लिए महानिदेशक (समाचार) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ध्यानाकर्षण योग्य -

(01) उम्मीदवारों को **आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आकाशवाणी, गोरखपुर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट** के माध्यम से आवेदन के साथ प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसीयोग्य) जमा करना आवश्यक है।

(03) सरकारी/स्वायत्त निकायों में काम करने वाले उम्मीदवारों को अपने संबंधित नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र " प्राप्त करना आवश्यक है।

(04) **आवेदन दिनांक 25.01.2024 को या उससे पहले केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, नगर निगम, गोलघर गोरखपुर, 273001** तक पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में **आवेदन वाले**

लिफाफे के ऊपर आवेदन की श्रेणी यानि आकस्मिक समाचार संपादक के लिए आवेदन लिखें। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के देर से प्राप्त होने या न मिलने पर आकाशवाणी, गोरखपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) आकस्मिक समनुदेशिती को भुगतान समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट **www.newsonair.gov.in** में **Payment** के अन्तर्गत उल्लिखित पारिश्रमिक के अनुसार होगा।

आवेदन-पत्र
(आकस्मिक समाचार संपादक/समाचार वाचक सह अनुवादक/प्रसारण सहायक)

फोटो

1. आवेदक का नाम___________________________________
2. व्यवसाय _______________________________________
3. पद____
4. जन्मतिथि: तारीख:______________ माह:______________ वर्ष:____________
5. श्रेणी: सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ0बी0सी0:__________________
6. निवास पता(फोन सहित):____

____

7. आवेदक के कार्यालय का पता:____
(फोन सहित) ____
8. शैक्षिक योग्यता (स्नातक अनिवार्य):_____________________________________
____
9. पिता/पति का नाम और व्यवसाय:______________________________________
(फोन सहित) _______________________________________
10.आकाशवाणी से किये गये प्रसारण:_____________________________________
का विवरण (यदि कोई हो) _____________________________________
11. आवेदन शुल्क का विवरण-सामान्य वर्ग के लिए रु300+रु54 (18% GST) = रु354/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु225+रु41(18% GST)

= रु266/-
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक:____
बैंक का नाम :____

<u>दस्तावेज संलग्न करें (स्वप्रमाणित छायाप्रति)</u>-
1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र (जन्मतिथि प्रमाण-पत्र हेतु)
2. स्नातक प्रमाणपत्र
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ0बी0सी0 के आवेदक का जाति प्रमाणपत्र
4. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में डिग्री या कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अथवा

पाँच वर्ष का समाचार लेखन/सम्पादन क्षेत्र में प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में अनुभव
5. निवास प्रमाण-पत्र

6. नगर निगम की सीमा के अंदर रहने वाले आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)